R 1524 I/15 सागर
अनिल-चौउदा/ रामभोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-6-15 अन्य सागर	1— यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 721 अ—6 वर्ष 2013—14 में दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 13.05.2015 के परिपालन में अपर कलेक्टर के प्रकरण क्र. 93 अ—6 वर्ष 2012—13 में आदेश दिनांक 23.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उन्हें प्रकरण की ग्राहता एवं स्थगन पर सुना गया। 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के पूर्व आवेदकगण जो लगे हुये आवश्यक हितवृद्ध पक्षकार है। उन्हें आहूत किये बिना ग्राम हड़कलखाती एवं ग्राम कर्रावदा का नक्शा तुरूस्ती के आदेश दिये है जबकि उन्हें ऐसा करने की अधिकारिता नहीं थी। आवेदकगणों के नक्शे में विधिविरूद्ध रूप से कमी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी उन्हें प्रमाणित प्रतिलिपि भी आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने कलेक्टर एवं कमिश्नर को इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है अपर आयुक्त सागर द्वारा 15 दिवस का स्थगन दिये जाने के उपरान्त भी तहसीलदार बीना द्वारा सीमांकन के निर्देश दिये जा रहे है। अतएव उन्होंने पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। 3— यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, अपर कलेक्टर सागर द्वारा आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, एक ग्राम से लगे हुये दूसरे ग्राम की नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2013 वैधानिक प्रक्रिया के अभाव में निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु आहूत कर स्थल जांच प्रतिवेदन उपरान्त म.प्र. भू—राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत अधिकारिता उपरांत प्रकरण का निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

निगरानी 1524-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. अनिल चौउदा पिता श्री रमेश चौउदा
   निवासी चमेली चौक सागर म. प्र.
2. गोविन्द सिंह राजपूत तनय स्व. श्री वीरसीग
   निवासी मनोरमा कालोनी सागर
3. कमलेश बघेल तनय श्री राधवेन्द्र सिंह बघेल
   निवासी शिवाजी वार्ड, तिली रोड सागर
4. अजय श्रीवास्तव तनय स्व. श्री अवध नारायण श्रीवास्तव
   इतवारी हिल्स, सागर म. प्र. ...... आवेदकगण

विरूद्ध

रामगोपाल पिता शिवनारायण तिवारी
निवासी जवाहर वार्ड बीना, जिला सागर .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनसुार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 721अ-6 /13–14 आदेश दिनांक 13.5.2015 में पारित आर्डर शीट संलग्न अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.8.2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न लिखित प्रमुख आधारों सहित प्रस्तुत करते है –

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 23.8.2013 जिसमें विवादित भूमि ग्राम हड़कल खाती इलका नं. 46 तहसील बीना स्थित भूमि खसरा नं. 404/14 जिसका बन्दोबस्त पूर्व खसरा नं. 80 था के नक्शे में त्रुटि दर्शाते हुए ग्राम किदावरी के नक्से में सुधार किये जाने बावत् राजस्व निरीक्षक से फर्जी प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदकगणों को सूचना पत्र जारी किये बिना एक पक्षीय रूप से दुरूस्ती आदेश पारित करा लिया जिसके विरूद्ध श्रीमान अपर आयुक्त सागर के समक्ष स्थगन की मांग किये जाने पर मात्र 15 दिवस का स्थगन दिया गया न तो मूल रिकार्ड तलब किया गया न ही आज दिनांक तक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने से श्रीमान के समक्ष यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।